न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
**अग्रिम जमानत आवेदन सं0–277/2026**
महिला थाना काण्ड सं0–05/2026
**शिवम कुमार – बनाम् – बिहार सरकार**

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

**17.03.2026**

आवेदक/अभियुक्त **शिवम कुमार** की ओर से महिला थाना काण्ड सं0–05/2026, जी0आर0 सं0–508/26, अंतर्गत धारा–69, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेद्ध अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के अधीन, यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो शपथ–पत्र से समर्थित है, को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री अजय कुमार के द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह पूरी अभियोजन कहानी झूठी है और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रेम–प्रसंगों के कारण दुर्भावना और द्वेष से प्रेरित होकर गढ़ी गई है। आवेदक या उसके माता–पिता ने कभी भी दहेज की माँग नहीं की थी, यह बिल्कुल झूठ है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। सूचिका के माता–पिता ने कभी उसकी मदद नहीं की। सूचिका किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करती थी। आवेदक धारा–482(ii) BNSS के तहत निर्धारित सभी नियमों व शर्तों का पालन करने को तैयार हैं तथा उनके फरार होने की संभावना नहीं है। अतः उक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ देने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

सूचिका के टंकित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचिका रूपा कुमारी, उम्र करीब 18 वर्ष, की शादी 2022 में शिवम कुमार उम्र करीब 22 वर्ष के साथ तय हुई। शादी तय होने वक्त लड़के के परिवार के तरफ से

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
**अग्रिम जमानत आवेदन सं0–277/2026**
महिला थाना काण्ड सं0–05/2026

**लगातार**
**17.03.2026**

बोला गया कि अभी लड़की का उम्र कम है और शिवम कुमार भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए एक वर्ष बाद दोनों की शादी करेंगे। शादी तय होने के बाद सूचिका और शिवम कुमार पति–पत्नी की तरह एक–दूसरे से मोबाईल पर बातचीत करते और शिवम प्रायः सूचिका से मिलने उसके घर आता और कई–कई दिनों तक उसके घर पर रहता था, जिस दौरान दोनों के बीच पति–पत्नी वाला संबंध स्थापति हुआ। इस दौरान शिवम कुमार को पढ़ने हेतु खर्च के तौर पर नकद एवं पे–फोन के माध्यम से लगभग 2 लाख रूपया सूचिका के माता– पिता ने उसे दिया। वर्ष 2023 में शिवम कुमार का मरचेन्ट नेवी में नौकरी हो गया। शिवम कुमार की नौकरी हो जाने के उपरान्त भी दोनों का एक–दूसरे के साथ मोबाईल पर बातचीत होती रहती थी। वर्ष 2024 ई0 में सूचिका के माता–पिता, शिवम के माता–पिता से विवाह की तिथि तय करने को बोले तो शिवम के माता–पिता टाल–मटोल करने लगे, तब सूचिका ने शिवम को इस बात की जानकारी दिया कि आपके माता–पिता विवाह की तारीख तय करने में टालमटोल कर रहे हैं तो शिवम कुमार उससे बोला कि तुम चिंता मत करो, वह अपने माता–पिता एवं दादी से बात कर रहा है और जब भी वह छुट्टी पर आता था तो उसके पास आता और दोनों एक साथ रहते थे। सितम्बर 2025 में, जब वह ड्यूटी पर चला गया। इसके बाद सूचिका के माता–पिता ने शिवम के माता–पिता से विवाह की तारीख निर्धारित करने को कहा तो उसकी माँ–बेली देवी एवं पिंटू सहनी उर्फ बिंकू सहनी, सूचिका के माता–पिता से दहेज के रूप में 8 लाख रूपया, मोटरसाईकल, पाँच भरी सोना का जेवरात एवं अन्य घरेलू उपयोग का सामान की माँग कर बोले कि अब मेरा बेटा शिवम नौकरी करता है, इसलिए आपको ये सभी माँगों की पूर्ति करने के उपरान्त ही विवाह की तिथि तय होगा। सूचिका के माता–पिता ने उसे बताया तो, वह शिवम कुमार के मोबाईल नं0–9508427829 पर बात कर उनके माता–पिता के द्वारा दहेज की माँग करने की बात बतायी तो वह सूचिका के साथ गाली–गलौज करते हुए धमकी दिया कि मेरे परिजन ने जो माँग रखा है, वह अपने माता–पिता से बोलकर पूर्ति करवा दो, तभी शादी का तिथि तय होगा। इसके बाद सूचिका के माता–पिता के द्वारा बार–बार

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
**अग्रिम जमानत आवेदन सं0–277/2026**
महिला थाना काण्ड सं0–05/2026

**लगातार**
**17.03.2026**

आग्रह विनती एवं सामाजिक स्तर पर पंचायत कराये, जिसमें शादी करने को तैयार हुआ, लेकिन अब बिना दहेज शादी करने को तैयार नहीं हो रहा है। सूचिका और उसके का मोबाईल नंबर को भी ब्लॉक कर दिया है।

उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सूचिका–सह–पीड़िता के द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्तों के विरुद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक/अभियुक्त, जो सूचिका–सह–पीड़िता का होने वाला पति था, के द्वारा विवाह के पूर्व एक–दूसरे के सहमति से यौन संबंध स्थापित करने तथा उसकी नौकरी लग जाने के पश्चात् बिना दहेज लिये विवाह करने को तैयार नहीं होने का गम्भीर आरोप है। आवेदक इस काण्ड के नामित अभियुक्त है तथा उस पर कथित अपराध कारित किये जाने सीधा एवं विशिष्ट आरोप है। प्रस्तुत मामले में अनुसंधान जारी है। कारित अपराध समाज एवं राष्ट्र के प्रतिकूल है, ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, मामले की प्रकृति एवं अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत
संजय कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

| | |
|---|---|
| Date of Judgement/Order | 17.03.26 |
| Date of Reserving Judgement/Order | — |
| Uploading Date | 28.03.26 |
| Uploading by | Nikhil Kumar (D.G.O) |